



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096
टेली/Tel:022-28294719, फ़ैक्स/Fax:28291385



ई-मेल/E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट/web-site: www.seepz.gov.in

सं.सीपज़-सेज़/प्रशासन/जीआइ/588/2020-21/07272

दिनांक: 30.6.2020

सेवा में,

सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी,

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई के

अधिकार-क्षेत्र के अधीन

विषय:- कोविड-19 वायरस के मद्देनजर कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए लौटाए जाने के आधार पर लेपटॉप/एसेसरीज सहित डेस्कटॉप के अस्थायी तौर पर हटाए जाने (रिमूवल) के संबंध में अनुमति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्ववर्ती पत्रों को देखें । इस संबंध में, आगे यह सूचित किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पूर्णबंदी की अवधि दिनांक 31.7.2020 तक बढ़ा दी गई है ।

2. अतः, महाराष्ट्र सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन में उक्त विषयक अनुमति दिनांक 31.7.2020 तक बढ़ाई जाती है ।

3. आपसे अनुरोध है कि अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले यूनिटों को इसकी सूचना दें ।

4. यह संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(राजू कुमार)

सहायक विकास आयुक्त/प्रशासन
सीपज़-सेज़